15/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप. / प्रा.पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया हो। पत्रावली नंबर से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/390

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:25 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामलाल बनाम रामस्वरूप आदि

किस्म मुकदमाः–8(2) कोलो. कन्डी. प्रकरण संख्याः–249/2023 GWS:-2023/390

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस. जी.आर.–बी की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 128/99 के पत्थर नं. 17/305 (23) के किला नं. 15 में 0.253, 16/0.253, 25/1 में 0.240, 25/2 में 0.013 रास्ता कुल 0.759 हैक्टर अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की भूमि चक 7 एस.जी.आर.–बी के पत्थर नं. 17/305 के किला नं. 25 में रास्ता लगता है। जो किला नं. 21 ता 25 में स्थापित है। रास्ता दक्षिण दिशा में स्थित साढ़े 16 फिट खेत से खेत को जाने वाले रास्ता से निकलकर किला नं. 21 ता 25 में आता है। किला नं. 21 ता 24 में यह रास्ता दरबारा सिंह पुत्र अमरसिंह के पत्थर नं. 17/305 में स्थापित है। इस रास्ता पर प्रार्थी व दरबार सिंह अपनी भूमि में आते–जाते है। दरबारा सिंह की किला नं. 24 तक रास्ता की उपयोगिता है। इससे आगे किला नं. 25 में प्रार्थी की भूमि है। किला नं. 25 में रास्ता की कोई उपयोगिता एवं आवश्यकता नही है। यह रास्ता आगे नही निकलता है। किला नं. 5 में रास्ता कभी उपयोग में नही लिया गया है। जमाबंदी में मात्र अंकन है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस. जी.आर.–बी के पत्थर नं. 17/305 के किला नं. 25/2 में स्थित 0.013 हैक्टर रास्ता निरस्त किया जाकर प्रार्थी के खाता में पुनः अंकित किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के नाम से चक 7 एस.जी.आर.–बी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 128/99 के पत्थर नं. 17/305 (23) के किला नं. 15–16–25/1, 25/2 में 0.759 हैक्टर अ0क0 मय गै0मु0 रास्ता भूमि दर्ज रिकार्ड है। किला नं. 25/2 में 0.013 हैक्टर गै0मु0 रास्ता दर्ज है। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार "मौके पर आज दिनांक 28.07.2023 को प0न0 17/305 में किला नं. 21 ता 25 में दक्षिण दिशा में रास्ता मुताबिक राजस्व रिकार्ड के प्रचलन में है। किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में खाले का नका व घाट बना हुआ हे। उक्त रास्ता श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार नामा0 सं0 380/18.06.2017 द्वारा स्वीकृत किया हुआ है।" उक्त रास्ता उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। अब प्रार्थी उक्त रास्ता को निरस्त कर प्रार्थी के खाता में पुनः अंकित किया जावे ऐसी प्रार्थना पत्र कर रहा है। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रास्ता प्रार्थी के रकबा में से कम हुआ है तथा मौका पर चल नही रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया है। न ही प्रार्थी द्वारा किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.16 16:30:25 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	